न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 36/2018

तारीख दायरा–12.06.2018
तारीख निर्णय–24.06.2019

1. श्री वदनसिंह पिता श्री हमेरसिंह राजपूत निवासी मादा तहसील गोगुन्दा।

.....वादी

बनाम

1. श्री वगतसिंह पिता श्री हमेरसिंह राजपूत निवासी मादा तहसील गोगुन्दा।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री चेतन वैष्णव
प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा सुथारमादडा पटवार क्षेत्र झाडोली की जमाबन्दी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 272 में वर्णित आराजियात किता 5 कुल रकबा 0.8100 है0 भूमि स्थित है । उक्त आराजियात भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त आराजियात भूमि पर वादी एंव प्रतिवादी संयुक्त स्वामित्व खातेदार हो कर अपने– अपने हिस्सा पर काबिज हो कृषि कार्य करते आ रहे है। वादी एंव प्रतिवादी के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादी को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात का विधिक विभाजन मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

Scanned by CamScanner

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में जवाब पेश नही होने से तनकियात कायम नही की गई। वादीगण की एक तरफा साक्ष्य में शपथ पत्र पेश हुआ जो शामील मिसल किया गया एवं वादीगण की साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। प्रतिवादी बावजुद सूचंना अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण को भी वादग्रस्त भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा मादा पटवार क्षेत्र छाली तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 272 में वर्णित आराजियात किता 5 कुल रकबा 0.8100 है0 भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाई मिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। एतद्नुसार डिकी पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/6/19

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारीः— जितेन्द्र कुमार पाण्डे, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 36 / 2018

वादी पक्ष

1. श्री वदनसिंह पिता श्री हमेरसिंह राजपूत निवासी मादा तहसील गोगुन्दा।

बनाम

1. श्री वगतसिंह पिता श्री हमेरसिंह राजपूत निवासी मादा तहसील गोगुन्दा।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री चेतन वैष्णव
प्रतिवादी की ओर से— एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 24.06.2019 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिकी किया जाता है मौजा मादा पटवार क्षेत्र छाली तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 272 में वर्णित आराजियात किता 5 कुल रकबा 0.8100 है0 भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाई मिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Pandey
Date: 2019.07.10 15:19:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: